भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 234 का उत्तर

रिक्त ट्रैक मेंटेनर पद

234. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे में विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त ट्रैकमैन (ट्रैक मेंटेनर) पदों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) इन विभागीय परीक्षाओं में बैठने से वंचित पात्र ट्रैकमैनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कुल ट्रैकमैनों की संख्या कितनी है;
(घ) सरकार द्वारा ट्रैकमैनों की सुरक्षा को लागू करने और बढ़ाने तथा भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार ने ट्रैकमैनों को पटरियों पर काम करते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपकरण या पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रदान की है; और
(च) सरकार द्वारा ट्रैकमैनों के लिए कार्य स्थितियों और करियर प्रगति के अवसरों, विशेष रूप से उन्नत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं तक पहुंच के संबंध में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

रिक्त ट्रैक मेंटेनर पद के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री सप्तगिरी शंकर उलाका के अतारांकित प्रश्न सं. 234 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेलपथ अनुरक्षक की भर्ती प्रविष्टि ग्रेड में सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है और उन्हें मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उनके कैडर में पदोन्नत किया जाता है। रेलपथ अनुरक्षक को एक समर्पित पदोन्नति चैनल के साथ चार ग्रेड (वेतन स्तर I, II, IV और V) में पुनर्गठित किया गया है। रेलपथ अनुरक्षक के लिए 3 पदोन्नतियों का एक स्पष्ट चैनल है। विभागीय परीक्षा के कारण रेलपथ अनुरक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर के अनुसार रेलपथ अनुरक्षकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (स्थायी मार्ग) तक पदोन्नति का चैनल है।

उपरोक्त के अलावा, रेलपथ अनुरक्षक सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) में शामिल हो सकते हैं। जीडीसीई रेलपथ अनुरक्षकों सहित सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। पात्रता पूरी करने वाले नियमित समूह 'ग' और स्तर-I कर्मचारी जीडीसीई में शामिल हो सकते हैं, जो निचले ग्रेड के कुशल और योग्य कर्मचारियों को उच्च ग्रेड में तेजी से तरक्की करने में सक्षम बनाता है। रेलपथ अनुरक्षक रेलों में जीडीसीई का लाभ उठाते रहे हैं।

जोखिमपूर्ण वातावरण में कार्य करते समय रेलपथ अनुरक्षकों को उन्हें आवश्यक संरक्षा गियर से लैस किया जाता है। रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट (ल्यूमिनस वेस्ट), सेफ्टी शूज, दस्ताने, खनिकों की डिटैचेबल लाइट वाले संरक्षा हेलमेट, ट्राईकलर लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी), 3 सेल टॉर्च जैसे संरक्षा उपकरण नियमित रूप से प्रदान किए जाते हैं।

संरक्षा पद्धतियों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, संभावित खतरों और उचित संरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों और वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित परामर्श और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से "सर्वप्रथम व्यक्तिगत संरक्षा" कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां रेलपथ अनुरक्षकों को रेलपथ पर या उसके निकट कार्य करते समय संरक्षित रहने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। संरक्षा बढ़ाने के लिए हाथ में पकड़ने वाले झंडे, बैनर वाले झंडे, विस्फोटक, सीटी आदि जैसे कई संरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

आने वाली रेलगाड़ियों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकतानुसार लुकआउट मैन की तैनाती की जाती है। प्रमुख कर्मियों की शारीरिक फिटनेस का आकलन करने के लिए नियमित चिकित्सा जांच की जाती है।

S.K

उपरोक्त सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, ड्यूटी के दौरान ट्रैकमैनों की मौत की संख्या 2013-14 में 196 से घटकर पिछले 5 वर्षों में औसतन 67 प्रति वर्ष हो गई है, जो 65% से अधिक की कमी है।

******

S.K